उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय

चतुर्थ/पंचम तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001

संख्याः एफएस- 1076/2015 (206) दिनांकः 2 - 7 - 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
मानचित्र सेल,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
नवीन भवन,विपिन खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषयः प्लाट/भूखण्ड सं0 193 व अन्य घैला सीतापुर रोड,लखनऊ में मेसर्स शालीमार KSMB प्रोजेक्ट्स टाइटेनियम ब्लाक शालीमार कारपोरेट पार्क विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित समूह आवास भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या -23/एए मैप सेल 115 दिनॉक 18.04.2015 एवं आवेदक द्वारा फायर सर्विस के वेवसाइट पर अपलोड टिकट नं0 2015/9107/LKW/Lucknow/1237/JD दिनांकः 24.04.2015 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रो में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्र बक्शी का तालाब, लखनऊ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ, उप निदेशक, फायर सर्विस, परिक्षेत्र लखनऊ द्वारा किया गया, की आख्या अनुसार-

भवन की संरचनाः-

1-कुल भूखण्ड एरिया-		53605.85 वर्ग मी0।
2-प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया	टाइप प्रथम-	978.88 वर्ग मी0।
	टाइप द्वितीय-	594.00 वर्ग मी0।
	टाइप तृतीय-	746.33 वर्ग मी0।
	टाइप चतुर्थ-	746.33 वर्ग मी0।
	टाइप पंचम-	594.98 वर्ग मी0।
	टाइप छः -	978.88 वर्ग मी0।

3-प्रथम तल से उपरी तलो का टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 (प्रत्येक तल वार विवरण)-

टावर-1 प्रथम तल से ग्यारहवें तल तक प्रत्येक का कवर्ड एरिया अलग-अलग -	978.88 वर्ग मी0।
बारहवें तल का कवर्ड एरिया -	741.56 वर्ग मी0।
टावर-2 प्रथम तल से ग्यारहवें तल तकप्रत्येक का कवर्ड एरिया अलग-अलग -	594.98 वर्ग मी0।
बारहवें तल का कवर्ड एरिया -	395.31 वर्ग मी0।
टावर-3 प्रथम तल से ग्यारहवें तल तक प्रत्येक का कवर्ड एरिया अलग-अलग -	746.33 वर्ग मी0।
बारहवें तल का कवर्ड एरिया -	509.83 वर्ग मी0।
टावर-4 प्रथम तल से ग्यारहवें तल तक प्रत्येक का कवर्ड एरिया अलग-अलग -	746.33 वर्ग मी0।
बारहवें तल का कवर्ड एरिया -	509.83 वर्ग मी0।
टावर-5 प्रथम तल से ग्यारहवें तल तक प्रत्येक का कवर्ड एरिया अलग-अलग -	594.98 वर्ग मी0।
बारहवें तल का कवर्ड एरिया -	395.31 वर्ग मी0।
टावर-6 प्रथम तल से ग्यारहवें तल तक प्रत्येक का कवर्ड एरिया अलग-अलग -	978.88 वर्ग मी0।
बारहवें तल का कवर्ड एरिया -	741.56 वर्ग मी0।

4-बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया-	17648 वर्ग मी0।
5-बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया-	Nil वर्ग मी0।
6-बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया-	Nil वर्ग मी0।
7-भवन की ऊँचाई-	39.995 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की समूह आवास श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1– पहुच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्र में 24 मी0 रोड की चौडाई है।
2– प्रवेश द्वार की चौडाई– प्रवेश/निकास की 02 गेट प्रस्तावित है, जिसकी चौड़ाई 6.00–6.00 मी0 है जो मानक के अनुसार है।
3– सैटबेकः– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग– 12 मी0।
बी0–पृष्ठ भाग–12 मी0। टावर 1 से टावर 6 आपस में जुड़े हुए हैं।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–12 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय– 12.मी0 है ।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन विनियमावली के अनुसार मानचित्र में प्रदर्शित है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नही होगा। इसके अतिरिक्त अन्य ब्लाकों का निर्माण 12 मी0 का सेटबैक छोड़कर ही किया जाय।
4– निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन में 2–2 अदद स्टेयर जिनकी चौडाई 1.50 मीटर व 1.20 मी0 का प्राविधान किया गया है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।
5–रिफयूज एरिया का विवरणः– मानक के अनुसार छोड़ा गया है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था– नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं पूर्ण की जानी अनिवार्य हैंः–
1–भूमिगत टैंकः भूमिगत टैंक 2 लाख ली0, क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।
2–पम्प– अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास मेन पम्प 2850 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प, डीजल चालित पम्म 2850 एल0पीएम0 क्षमता, जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0, क्षमता का प्राविधानित है। बेसमेन्ट में स्प्रिंकलर हेतु 2850 एल0पी0एम0 क्षमता का इलेक्ट्रिक पम्प व 180 एल0पी0एम0 क्षमता का जाकी पम्प प्राविधानित है।
3–होजरील :–प्रस्तावित भवन मे होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0–3844 मानको के अनुसार प्राविधानित है।
4–वेटराइजरः प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेट राइजर सिस्टम, एन0बी0सी0–2005 के मानकों के अनुरूप प्राविधानित है।

5–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे यार्ड हाईड्रेण्टस होज केबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप तथा एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0–13039:1991 के अनुसार प्राविधानित है।
6–हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–मैनुअल आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।
7–स्वचालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः–भवन मे आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम आवश्यक नहीं है।
8–स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः– भवन के बेसमेंट मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
9–टेरिस टैंकः– प्रश्नगत भवन की टेरिस पर प्रत्येक टावर पर 10000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित किया जाना प्राविधानित है।
10–टेरिस पम्पः–प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प आवश्यक नहीं है।
11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधान किया गया है जो मानक के अनुरूप प्राविधानित है।
12– स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टमः–
ए0–फायर चैकडोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग 2एच पाविधानित है।
बी0–सिस्टम की मैक अप एयर हेतु (एयर स्लिप) व्यवस्था प्राविधानित है।
सी–स्मोक रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण प्राविधानित है।
13–प्रेशराईजेशन प्रणाली :– आवश्यक नहीं है।
14–एग्जिट साईनेजः–सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये हैं।
15–पी0ए0 सिस्टमः– पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन मे प्राविधानित है।

अतः उपरोक्त आख्यानुसार मैसर्स शालीमार **KSMB** प्रोजेक्ट्स टाइटेनियम ब्लाक शालीमार कारपोरेट पार्क विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्लाट/भूखण्ड सं0 193 व अन्य घैला सीतापुर रोड, लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवास भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्न – मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक,
अग्निशमन सेवा मुख्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः–

1– मैसर्स शालीमार **KSMB** प्रोजेक्ट्स टाइटेनियम ब्लाक शालीमार कारपोरेट पार्क विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2– उप निदेशक (तकनीकी), फायर सर्विस, लखनऊ परिक्षेत्र को उनके पत्र संख्या – अ–7–डीडी (लखनऊ) –2012 दिनांक 29–06–2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

3– मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को उनके पत्र संख्या– प–2099/एफएस–15 दिनॉक 27–06–2015 के संदर्भ में मय संलग्न मानचित्र के अनुपालनार्थ प्रेषित।

4– अग्निशमन अधिकारी , अग्निशमन केन्द्र–बक्शी का तालाब, लखनऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित।